महोदयजी

जाँच से प्रकट है कि :-

(1) प्रार्थना पत्र क्षेत्राधिकार का है।

(2) उचित कोर्ट फीस पर है।

(3) आवश्यक राजस्व रेकार्ड की प्रमाणित प्रतियाँ संलग्न हैं।

(4) प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी के प्रार्थीगण खातेदार हैं, से इन्हें नपती कराने का अधिकार है।

अत: दर्ज कर आदेश जारी किया जाना उचित है। आदेशार्थ प्रस्तुत है

HIC 14/6/23

(5) श्रीमान एस० डी० ओ० सा०

प्रकरण दर्ज होकर आदेश जारी हो

14-6-23

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Kumar Tada
Date: 2024.02.22 18:04:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner